

## आवेदन पत्र में संशोधन हेतु दिशा निर्देश

**\*\*\* आवेदन पत्र में संशोधन हेतु केवल एक अवसर ही प्रदान किया जायेगा।**

- \* आवेदन पत्र में एक बार संशोधन करने के उपरान्त उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
- \* आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन संख्या, जनपद, बैंक से प्राप्त चालान संख्या, वर्ग एवं विकलांगता के अतिरिक्त अन्य किसी भी विवरण को परिवर्तित किया जा सकता है।
- \* संशोधन हेतु आपने जिस क्रमांक संख्या के चेक बाक्स को टिक किया है, उस क्रमांक के सभी विवरण को पुनः भरना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपका संशोधन डाटाबेस में सेव नहीं होगा।